


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 69/2025
 मंजू क्लेव बनाम गीता देवी
 GCMS NO 2025/---39---

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.06.25	<p>अपील श्री नेमी चंद बैरवा अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांत अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 69/24 उनवानी गीता देवी वगै० बनाम मंजू कंवर वगै० मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.7.24 के विरुद्ध पेश की गई है। चूकि: अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नहीं आता है। वर्तमान मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण/अपीलांत की तलबी मे विचाराधीन है। इस प्रकार न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियत दिनांक को अपीलांत/अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अन्दर 2 माह मे प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। अपीलांत को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	

